

सेवामें,

ग्रामीण सेवा शिविर 2025


श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सिवाना जिला बालोतरा


विषय:- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम खेजडियाली की जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 154 में मेरा/हमारा नाम श्याम सिंह पुत्र मिस्तरा जाति दरीखा दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा/हमारे शुद्ध नाम श्याम सिंह पुत्र मिस्तरा जाति रावणा राजपुत्र हैं।  
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरवाने की कृपा करावें।

  
हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ.निरीक्षक


पटवारी के स्वतंत्र दस्तावेजों के अनुसार श्याम सिंह पुत्र मिस्तरा जाति दरीखा के खाते पर श्याम सिंह पुत्र मिस्तरा जाति रावणा राजपुत्र नाम शुद्ध करने की अनुमति दी जाती है।  
  
16.10.25  
TLR श्रीमान्

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक अनुसार उपर्युक्त दुरुस्ती किया जाना उचित हैं।

6 cms - 2025/579

आदेश

  
तहसीलदार समदड़ी

क्रमांक: गा.से.शि./2025/1673

दिनांक:- 16.10.2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदड़ी अनुसार ग्राम खेजडियाली की जमाबन्दी संवत् 2077-80 से 2080 के खाता संख्या 154 में श्याम सिंह पुत्र मिस्तरा जाति दरीखा के स्थान पर सम्मान जनक इन्द्राज श्याम सिंह पुत्र मिस्तरा जाति रावणा राजपुत्र करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल-दरामद की कार्यवाही की जावे।



  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)